क्रम-संख्या–119(क–2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2022

आश्विन 7, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

**विधायी अनुभाग–1**

संख्या 495 / 79-वि-1–2022-1-क-8-2022

लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022

अधिसूचना

**विविध**

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985-नियम 12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2022 जिससे वित्त (सामान्य) अनुभाग 2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2022 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985–नियम 12
(संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2022

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2022)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के नियम 12 का संशोधन करने और तद्धीन या तद्सम्बन्ध में कृत कतिपय कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985–नियम 12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2022 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 4 अगस्त, 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

568 RPH 2022 (General Provident Fund) data 4e adhiniyam fold.

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के नियम 12 का संशोधन

2–समय–समय पर यथा संशोधित सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) का नियम 12 निकाल दिया जायेगा और उसे दिनांक 1 अप्रैल, 1986 से निकाला गया समझा जायेगा।

विधिमान्यकरण

3–किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985–नियम 12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2022 के प्रारम्भ होने के पूर्व शासनादेश संख्या सा–4–जी0आई0–28/दस–86–59–81, दिनांक 5 जुलाई, 1986 के पैरा–2 के प्रथम वाक्य के उपबन्ध के अधीन या उसके निबन्धनों के अनुसार उक्त नियम के सम्बन्ध में कृत या की गयी तात्पर्यित कोई बात और कृत या की गयी तात्पर्यित कोई कार्यवाही, सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985–नियम 12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2022 द्वारा यथा संशोधित सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के उक्त नियम 12 के अधीन या तत्सम्बन्ध में किये जाने हेतु और सदैव से कृत या की गयी समझी जायेगी और वह उतनी ही विधिमान्य होगी तथा सदैव विधिमान्यकृत समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध दिनांक 1 अप्रैल, 1986 से समस्त सारवान समयों पर प्रवृत्त थे।

निरसन और व्यावृत्ति

4–(1) सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985–नियम 12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2022 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2022)

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित पूर्वोक्त नियमावली के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

---

## उद्देश्य और कारण

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के नियम 12 में यह उपबंध है कि यदि कोई अभिदाता पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान पूर्वोक्त नियमावली के नियम 13 के अधीन निधि में अपने नाम जमा धनराशि से कोई धनराशि अग्रिम के रूप में प्रत्याहृत (विथड्रॉ) नहीं करता है अथवा नियम 16 के अधीन कोई धनराशि प्रत्याहृत (विथड्रॉ) नहीं करता है तो वह वर्ष के अन्तिम दिनांक को अपने नाम जमा सम्पूर्ण अतिशेष (बैलेंस) पर एक प्रतिशत की दर से बोनस का हकदार होगा। नियम 12 के अधीन इस प्रोत्साहन बोनस के उपबन्ध को दिनांक 01 अप्रैल, 1986 से शासनादेश संख्या सा-4-जी0आई0-28/दस-86-59-81, दिनांक 5 जुलाई, 1986 द्वारा समाप्त कर दिया गया। तत्समय सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में आवश्यक संशोधन किया जाना भी अपेक्षित था किन्तु ऐसा नहीं किया जा सका।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के नियम 12 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये तुरंत विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2022

को सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985–नियम 12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2022) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुर: स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

---

No. 495 (2)/LXXIX-V-1–2022-1-ka-8-2022
*Dated Lucknow, September 29*, 2022

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Saamanya Bhavishya Nidhi (Uttar Pradesh) Niyamawali, 1985- Niyam 12 (Sanshodhan aur Vidhimanyakaran) Adhiniyam, 2022 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 2022) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 29, 2022. The Vitt (Saamanya) Anubhag 2 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE GENERAL PROVIDENT FUND (UTTAR PRADESH) RULES, 1985-RULE 12 (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 2022
(U.P. Act No. 9 of 2022)

*[As passed by the Uttar Pradesh Legislatlure]*

AN
ACT

*to amend rule* 12 *of the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules,* 1985 *and to validate certain actions taken thereunder or in relation thereto.*

IT IS HEREBY enacted in the Seventy third Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985-Rule 12 (Amendment and Validation) Act, 2022.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from August 4, 2022.

Amendment of rule 12 of the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985

2. The rule 12 of the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985, as amended from time to time (hereinafter referred to as the said rule), shall be *omitted* and be deemed to have been *omitted* with effect from April 1, 1986.

Validation

3. Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court, anything done or purporting to have been done and any action taken or purporting to have been taken under or in relation to the said rule in terms of the provision of first sentence of the paragraph 2 of the Government Order no. G-4-G. 1-28/X-86-59-81, dated July 5, 1986 before the commencement of the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985-Rule 12 (Amendment and Validation) Act, 2022 shall be deemed to be and always to have been done or taken under or in relation to the said rule 12 of the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985 as amended by the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985-Rule 12 (Amendment and Validation) Act, 2022 and to be and always to have been as valid as if the provisions of this Ordinance were in force at all material times with effect from April 1, 1986.

Repeal and saving

4. (1) The General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985-Rule 12 (Amendment and Validation) Ordinance, 2022 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 6 of 2022

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985 as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the aforesaid rules as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

------------

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Rule 12 of the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985 provides that if a subscriber does not withdraw any money from the amount standing to his credit in the Fund by way of advance under rule 13 or does not withdraw any amount under rule 16 of the aforesaid Rules during the preceding three years, then he shall be entitled to a bonus at the rate of one percent on the entire balance at his credit on the last day of year. This provision of incentive bonus under rule 12 was abolished with effect from April 1, 1986 *vide* Government Order no. G-4-G.1-28/X-86-59-81, dated July 5, 1986. A necessary amendment was also required in the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985 at that time, but the same could not be done.

In view of the above, it was decided to amend rule 12 of the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985- Rule 12 (Amendment and Validation) Ordinance, 2022 (U.P. Ordinance no. 6 of 2022) was promulgated by the Governor on August 4, 2022.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 568 राजपत्र–2022–(913)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 67 सा० विधायी–2022–(914)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।

568 RPH 2022 (General Provident Fund) data 4e adhiniyam fold.